अनुसूची 14 – प्रपत्र सं0 563 ।

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

4-6-15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

भू–हदबंदी अपील वाद संख्या–05 / डी0एम0 / 2013

दुधेश्वर सिंह वनाम दिनेश विन्द वगैरह

आदेश

यह अपील आवेदन श्री दुधेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ दुधेश्वर शर्मा, पिता–स्व0 फतेह सिंह, श्री रामप्रवेश सिंह, पिता श्री दुधेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम–झुनाठी, थाना परसविगहा, जिला–जहानाबाद के द्वारा भू–हदबंदी वाद सं0–03 / 09–10 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद के द्वारा दिनांक–07.10.12 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा "Bihar Land Reforms (Fixation of celing area and Acquition of surplus land Act 1961 के Section 16 (3) के तहत विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद के न्यायालय में वाद सं0–03 / 09–10 दायर किया था। अपीलार्थी के द्वारा दायर वाद में निबंधित केवाला दिनांक–23.06.09 के आलोक में जरसमन तथा जरसमन का 10 प्रतिशत चालान सं0–08, दिनांक–15.05.09 से कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति निम्न न्याया लय में दायर किया था। निम्न न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष को सुनकर दिनांक–07.10.12 को अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश सम्भावनाओं पर आधारित है। निम्न न्यायालय के द्वारा अधिनियम पर विचार नहीं कर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को आधार बनाकर पारित किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी भूमिहीन नहीं है। विपक्षी के पास एक एकड़ से अधिक जमीन है। इस तथ्य पर निम्न न्यायालय के द्वारा विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी विवादित जमीन खाता सं0–282, प्लौट सं0–2716, रकवा–16 डी0, मौजा–झुनाठी के अरिया रैयत है। अपीलार्थी निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया है।

विपक्षी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है तथा न्याय की दृष्टि में सही है। दायर अपील खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा विवादित जमीन का अरिया रैयत होने की बात कहना पूर्णतः गलत है। विपक्षी सं0–1 का कहना है कि विवादित जमीन खरीद किया गया है तथा खरीदने के समय से ही उक्त जमीन का उपयोग मकान के रूप में किया जा रहा है। विवादित जमीन खेती योग्य नहीं है। इनका कहना है कि मनोरमा देवी के द्वारा जमीन विक्री करने की घोषणा किया गया था। विपक्षी सं0–1 के द्वारा जमीन खरीदने की सहमति दी तथा जमीन का जरसम्मन तय किया गया। अपीलार्थी को जमीन विक्री की पूरी जानकारी थी परन्तु अपीलार्थी के द्वारा विवादित जमीन खरीदा नहीं गया। अपीलार्थी जमीन विक्री के पश्चात गलत दावा के आधार पर खेल –खेल रहे हैं। विपक्षी सं0–1 का कहना है कि यदि अपीलार्थी जमीन खरीदने का पूर्व में प्रयास करते तो इन्हें कोई एतराज नहीं था। इनका कहना है कि इनके पास 7½